न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 170/2019

किशोर सिहं पुत्र देवी सहाय निवासी वार्ड नम्बर 14 ग्राम पंचलगी वाया सराय तहसील उदयपुरवाटी।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.11.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 23.10.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 170/2019 पर दिनांक 23.10.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/1601–2 दिनांक 30.10.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी ने पत्रांक /पाठक/सू.अ./19/612 दिनांक 04.11.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक/पाठक/19/587 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा उनके कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को वांछित सूचना उनके कार्यालय के पत्र कमांक/पाठक/19/587 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Jain
Date: 2019.11.25 12:11:51 IST
Reason: SelfAttested